

Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad

104, M G Marg, Lucknow-226001

Vacant properties list for E-Auction 27.09.2023(Extended to 17.10.2023)

परिषद की विभिन्न योजनाओं में रिक्त सम्पत्तियां जिनका क्षेत्रफल 500.00 से अधिक है के निस्तारण हेतु दिनांक 27.09.2023 को प्रस्तावित ई-नौलामी को दिनांक 17.10.2023 को सम्पन्न कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पंजीकरण एवं टोकन धनराशि जमा करने की अवधि दिनांक 16.10.2023 तक रहेगी।

Sl. No.	Auction Id	Zone Name	District Name	EMO Office	Scheme Name	Property Type	Property Category	Property No.	Reservation	Area Pincode	Area of Property (Sqm.)	Cost of Property	Token Amount	FAR	Reserve Price/ Reserve Rate
36	15881	Gorakhpur	Sultanpur	SULTANPUR	(LOHRAMAU) LOHRAMAU SCHEME	Non-Residential	Commercial Plots	1/CP-07 CORNER	Unreserved/ General	228001	720.00	38142720	3814272.00	N/A	52976
37	15881	Gorakhpur	Sultanpur	SULTANPUR	(LOHRAMAU) LOHRAMAU SCHEME	Non-Residential	Commercial Plots	1/CP/-03	Unreserved/ General	228001	600.00	28896000	2889600.00	N/A	48160
38	15881	Gorakhpur	Sultanpur	SULTANPUR	(LOHRAMAU) LOHRAMAU SCHEME	Non-Residential	Commercial Plots	2/cp-01	Unreserved/ General	228001	1883.00	90685280	9068528.00	N/A	48160
39	15881	Gorakhpur	Sultanpur	SULTANPUR	(LOHRAMAU) LOHRAMAU SCHEME	Non-Residential	Institutional Plots	3/NS-1	Unreserved/ General	224001	710.60	8402845	840285.00	N/A	11825
40	15881	Gorakhpur	Sultanpur	SULTANPUR	(LOHRAMAU) LOHRAMAU SCHEME	Non-Residential	Institutional Plots	3/PS-1 CORNER	Unreserved/ General	224001	1512.23	19671088	1967200.00	N/A	13008

मा० न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नौलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा।

यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बंधित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण/अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

किसी भी नियम/विनियम, नियम व शर्तों, सम्पत्ति का विवरण यथा जोन, योजना, क्षेत्रफल आरक्षित दर, टोकन मनी, आरक्षण आदि के सम्बन्ध में परिषद की वेबसाइट www.upavp.in अथवा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। समस्त प्रस्तावित सम्पत्तियों का निस्तारण परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली यथा संशोधित मार्च-2016 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अधीन किया जाएगा।

परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय संपत्तियां परिषद विनियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन "जहाँ है जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जाएँगी।

While registering on the e-Auction portal, please upload images or PDF of both sides of the documents to be uploaded.